

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या: 4807/उ0ख0/भू0खनि0नि0/वि0निवि0परि0/2023-24,

दिनांक 12 दिसम्बर, 2023

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र0ख0ला0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023-24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा विज्ञापितकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 3279/DDN\_013/ भू0खनि0नि0/ ई0नीला0/2023-24, दिनांक 27.09.2023 के द्वारा जनपद देहरादून की तहसील डोईवाला के ग्राम घिसरपडी सौंग -II के खसरा सं0 खसरा सं0 226घ रकवा 38.115 है0 व खसरा सं0 229 रकवा 41.250 है0 में से 1.05 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 56700 टन एवं आधार मूल्य रू0 39,69,000.00 निर्धारित करते हुये नियमावली के नियम 20(2) के प्राविधानानुसार 05 है0 से कम क्षेत्रफल के उपखनिज लॉटों को राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी निविदा दिनांक 19.10.2023 (बृहस्पतिवार) को अपराह्न 12.00 बजे खोली जानी निर्धारित थी।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 176/पी0आई0एल0/2023 तरुण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 18.10.2023 को आदेश पारित किया गया कि "5. We direct the petitioner to implead the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), and State Pollution Control Board, as party respondents. 6. Steps be taken within a week. 7. Notice shall be issued to SEIAA and State Pollution Control Board, returnable on 27.12.2023, by all permitted modes, including electronically. 8. List the matter on 27.12.2023. 9. In the meantime, we direct that, in case, the environment impact assessment and clearance has not been granted, the tender process shall not be proceeded in pursuance to the auction noticed dated 26.09.2023". उक्त के क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 3766/भू0खनि0नि0/ ई0नीला0/2023-24, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3278/भू0खनि0 नि0/ई0नीला0/2023-24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 3279/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023-24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गयी।

मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र दिनांक 07.11.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनहित याचिका संख्या 176/पी0आई0एल0/2023 तरुण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य आज दिनांक 07.11.2023 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध थी, जिसमें मा0 न्यायालय, नैनीताल द्वारा आदेश पारित किया गया है कि "The Hon'ble Court, after hearing the Counsel for the parties at length has been pleased to dismiss the aforementioned Writ Petition (PIL) with the direction that the mining activity shall be carried only after obtaining the environmental clearance for the appropriate authority".

निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 4192/उ0ख0/भू0खनि0नि0/समि0/2023-24, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र दिनांक 07.11.2023 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 176/पी0आई0एल0/2023 तरुण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा दिनांक 07.11.2023 को सुनवाई के उपरान्त उक्त जनहित याचिका को निरस्त (Dismissed) कर दिये जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश संख्या 3766/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023-24, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3278/भू0खनि0 नि0/ई0नीला0/2023-24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 3279/भू0खनि0नि0/ ई0नीला0/2023-24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्यवाही पर लगायी गयी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उक्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 08.11.2023 समय अपराह्न 2.30 बजे खोले जाने की अनुमति

प्रदान की गयी। उक्त के क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 08.11.2023 को अपराह्न 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें 04 बिड प्राप्त हुए तथा निविदाकारों की तकनीकी निविदा में अभिलेख अर्पण होने तथा वित्तीय निविदा हेतु 03 सफल निविदाकार न होने के फलस्वरूप उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 4306/उख0/भू0खनि0नि0/ई-निविदा तकनी0नि0/ 2023-24 दिनांक 18 नवम्बर के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त लॉट की निविदा आमंत्रण संख्या 4465/DDN\_013/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/ 2023-24, दिनांक 28.11.2023 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 07.12.2023 (बृहस्पतिवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी।

निदेशालय के पत्र संख्या 4681/उख0/भू0खनि0नि0/ई-निविदा तकनी0नि0/2023-24, दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के द्वारा निविदा समिति की संस्तुति दिनांक 07.12.2023 (बृहस्पतिवार) के अनुसार जनपद देहरादून की तहसील डोईवाला के ग्राम घिसरपडी सौंग-II के खसरा सं0 खसरा सं0 226घ रकवा 38.115 है0 व खसरा सं0 229 रकवा 41.250 है0 में से 1.05 है0 उपखनिज क्षेत्र में दिनांक 07.12.2023 (बृहस्पतिवार) को खोली गयी तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	2	3
1.	अक्षत शाह	अभिलेख पूर्ण, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम-20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
2.	श्री मिन्दर सिंह	अभिलेख पूर्ण, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम-20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।

ई-निविदा सह ई-नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 08.12.2023 (शुक्रवार) समय अपराह्न 4.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है :-


क्र0 सं0	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त बोली धनराशि (रु0 में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1 एवं H2 (रु0 में)
1	2	3	4
1.	अक्षत शाह	52,44,750.00	H1
2.	श्री मिन्दर सिंह	45,92,700.00	H2

उपरोक्तानुसार ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1 एवं H2 घोषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच-1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0-1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरुद्ध नियम-23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच-2 बोलीदाता को एच-1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Monery) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया एच-3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में ई-नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई-नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार श्री अक्षत साह पुत्र श्री मारुति नन्दन साह, निवासी- हाउस नं० 86, हेडिंग्ले स्टेट, अपर मॉल रोड, तल्लीताल, नैनीताल H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू० 52,44,750.00 (रू० बावन लाख चवालीस हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चम बोली का 25 प्रतिशत रू० 13,11,188.00 (रू० तेरह लाख ग्यारह हजार एक सौ अठासी मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू० 39,69,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू० 9,92,250.00 अर्नेस्ट मनी के सापेक्ष बैंक ऑफ बडौदा द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ०डी०आर० संख्या 06090300023212, दिनांक 05.12.2023, रू० 9,92,250.00 निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू० 13,11,188.00 - 9,92,250.00 = 3,18,938.00) रू० 3,18,938.00 (रू० तीस लाख अट्ठारह हजार नौ सौ अडतीस मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ०डी०आर० के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, जमा की जायेगी, ताकि नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन०बी०डब्लू०एल० (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।

अतः H1 बोलीदाता श्री अक्षत साह पुत्र श्री मारुति नन्दन साह, निवासी- हाउस नं० 86, हेडिंग्ले स्टेट, अपर मॉल रोड, तल्लीताल, नैनीताल को निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार अवशेष धनराशि रू० 3,18,938.00 (रू० तीस लाख अट्ठारह हजार नौ सौ अडतीस मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ०डी०आर० के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, निदेशालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता को असफल बोलीदाता घोषित करते हुए अनुक्रमानुसार एच-2 को एच-1 बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।

  
(एस०एल० पैट्रिक)  
निदेशक

संख्या: 4807 / उ०ख० / भू०खनि०नि० / वि०निवि०परि० / 2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद देहरादून।
4. एच-1 बोलीदाता श्री अक्षत साह पुत्र श्री मारुति नन्दन साह, निवासी- हाउस नं० 86, हेडिंग्ले स्टेट, अपर मॉल रोड, तल्लीताल, नैनीताल।

  
(एस०एल० पैट्रिक)  
निदेशक